

गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, विलासपुर (छ.ग.)

क्रमांक 3078/स्था./प्रशा./2005

विलासपुर, दिनांक 23/8/2005

आदेश

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम 2002 की धारा 49 के प्रावधानानुसार गठित चयन समिति की अनुशंसा पर विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 22.08.05 विषय क्रमांक- 14 के निर्णयानुसार श्रीमती पुष्पलता पुजारी की नियुक्ति निम्न शर्तों पर कम्प्यूटर विज्ञान विभाग में व्याख्याता (अ.जा) पद पर वेतनमान रुपये 8000-13500/- में दो वर्ष की परीक्षा पर (जो विश्वविद्यालय अधिनियम के अंतर्गत परिनियम के अनुसार आगे बढ़ाई जा सकती है) कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से की जाती है।

कार्यभार ग्रहण की अवधि के अंतर्गत वेतन/यात्रा भत्ता आदि नहीं दिया जावेगा। वेतनमान के संचालन के समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत अन्य भत्ते देय होंगे।

यदि परीक्षावधि में कार्य समाप्त नही पाया गया अथवा विश्वविद्यालय को उनकी सेवाओं की आवश्यकता न हो तो एक माह की पूर्व सूचना या एक माह का वेतन देकर सेवा से पृथक किया जा सकता है।

उनकी सेवायें चालवलेन संबंधी जाँच उपयुक्त एवं अच्छा पाये जाने पर ही वैध होंगी।

दिनांक 06.09.2005 तक पद का कार्यभार ग्रहण किया जाना चाहिये, अन्यथा नियुक्ति निरस्त समझी जावेगी। सेवा शर्तों विश्वविद्यालय अधिनियम के अंतर्गत परिनियम 31 एवं अध्यादेश-4 के अंतर्गत संचालित होगी।

विश्वविद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने के समय लिखित रूप से सूचित करना होगा। उपर्युक्त सभी शर्तें मान्य हैं।

उपर्युक्त शर्तों में किसी प्रकार की कोई शिथिलता प्रदान नही की जावेगी। वेतन एवं अन्य शर्तें उपर्युक्तानुसार होंगी, अन्य शर्तें मान्य नहीं होंगी।

नियुक्ति पर होने वाला व्यय कम्प्यूटर विज्ञान विभाग के स्थापना मद में विकलन्य होगा। कार्यपरिषद के आदेशानुसार।


कुलसचिव


विलासपुर, दिनांक 23/8/2005

पृ.क्रमांक 3079/स्था./प्रशा./2005

प्रतिलिपि :-

01. महामहिम राज्यपाल एवं कुलाधिपति के सचिव, राजभवन, छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ अग्रगत।
02. कुलपति/कुलसचिव के सचिव/निज सहायक को कुलपति जी/कुलसचिव जी के अवलोकनार्थ।
03. सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली।
04. अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, डी.के.भवन, मंत्रालय, रायपुर (छ.ग.)।
05. सचिव, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़ शासन, डी.के.भवन, मंत्रालय, रायपुर (छ.ग.)।
06. आयुक्त, उच्च शिक्षा, महाविद्यालयीन शिक्षा एवं पेंशन प्रकोष्ठ, विज्ञान महाविद्यालय परिसर, छ.ग.शासन, रायपुर (छ.ग.)।
07. विभागाध्यक्ष, कम्प्यूटर विज्ञान विभाग, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, विलासपुर का सूचनार्थ।
08. वित्ताधिकारी/सहायक संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, विलासपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
09. श्रीमती पुष्पलता पुजारी को इस निर्देश के साथ कि वे दिनांक 06.09.2005 तक आवश के रूप से कार्यभार ग्रहण करें। कार्यभार ग्रहण करने की सूचना के साथ ही स्वास्थ्य परीक्षण, आयु, नवता तथा शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र तथा इकरारनामा भी कार्यालय में प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
10. निजी नस्ती।

MB
RA
3/9/05


कुलसचिव